न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 115/2019

1. इलाहाबाद बैंक, शाखा एम0 आई रोड, जयपुर मुख्य शाखा जयपुर, राजस्थान

–– प्रार्थी

बनाम

1. मै बालाजी ग्रुप, प्लाट न0 695, अशोक नगर, गांव पौंख, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं, राजस्थान।
2. श्री महावीर प्रसाद सैनी पुत्र श्री रामेश्वर लाल सैनी, प्लाट न0 695, अशोक नगर, गांव पौंख, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं, राजस्थान।
3. श्री हिमांशु सैनी पुत्र श्री रामेश्वर लाल सैनी (पार्टनर, गारन्टर व स्व0 श्री रामेश्वर लाल सैनी के उत्तराधिकारी), प्लाट न0 695, अशोक नगर, गांव पौंख, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं, राजस्थान।
4. श्री हरी राम सैनी पुत्र श्री रामेश्वर लाल सैनी (स्व0 श्री रामेश्वर लाल सैनी का उत्तराधिकारी), प्लाट न0 695, अशोक नगर, गांव पौंख, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं, राजस्थान।
5. स्व0 श्री रामेश्वर लाल सैनी के सभी उत्तराधिकारी, प्लाट न0 695, अशोक नगर, गांव पौंख, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं, राजस्थान।

–– ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 एतद् पश्चात "एक्ट" से संबोधित किया गया है ऋणी/जमानती से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने बाबत।

––

उपस्थितः–

1. बैंक प्रतिनिधि श्री नीरू वर्मा (पंजाब नैशनल बैंक) –............ प्रार्थी बैंक की ओर से

आदेश

दिनांक 08.07.2019

प्रार्थी इलाहाबाद बैंक के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि बैंक ने ऋणी 1 मै बालाजी ग्रुप, 2. श्री महावीर प्रसाद सैनी पुत्र श्री रामेश्वर लाल सैनी, 3. श्री हिमांशु सैनी पुत्र श्री रामेश्वर लाल सैनी (पार्टनर, गारन्टर व स्व0 श्री रामेश्वर लाल सैनी के उत्तराधिकारी), 4. श्री हरी राम सैनी पुत्र श्री रामेश्वर लाल सैनी (स्व0 श्री रामेश्वर लाल सैनी का उत्तराधिकारी), स्व0 श्री रामेश्वर लाल सैनी के सभी उत्तराधिकारी को दिनांक 15.02.2016 को रूपये 1,42,00,000/– अक्षरे एक करोड बियालीस लाख रूपये मात्र का ऋण स्वीकृत किया गया था इस हेतु ऋणी ने बंधक विलेख व आवश्यक दस्तावेज दिनांक 20.02.2016 को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूमि आस्ति (जो आपके क्षेत्राधिकार मे स्थित है) से रक्षित है– श्री रामेश्वर लाल पुत्र श्री माना राम के खसरा न0 695 व 697 ग्राम व पोस्ट पोंख तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू (राज0) स्थित बंधक सम्पत्ति जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकार्ड के अनुसार 4300 वर्ग मीटर व श्री

जिला कलेक्टर झुन्झुनू
(जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट)
झुंझुनू

महावीर प्रसाद सैनी पुत्र श्री रामेश्वर लाल के नाम ग्राम व पोस्ट पोंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज0) स्थित बंधक सम्पत्ति जिसका क्षेत्रफल 3066.90 वर्ग मीटर एवं श्री हिमांशु सैनी पुत्र श्री रामेश्वर लाल के नाम ग्राम व पोस्ट पोंख, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज0) स्थित बंधक सम्पत्ति जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकार्ड के अनुसार 2053.90 वर्ग मीटर जिसके ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप मे ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके परिसम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है। प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान मे चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तो के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने मे असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 28.03.2019 को नियमानुसार अनर्जक परिसम्पत्ति (एन0पी0ए0) के रूप मे वर्गीकृत कर दिया गया था। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 28.03.2019 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजि0 ए0डी0 / कोरियर / यू0पी0सी0 से मांग नोटिस भेज करके 60 दिन में ऋण राशि रू 1,48,20,527 / – अक्षरे एक करोड अढतालीस लाख बीस हजार पांच सौ सताईश रूपये+इसके आगे का ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने के लिए मांग की। बैंक को रूपये 1,48,20,527 / – अक्षरे एक करोड अढतालीस लाख बीस हजार पांच सौ सताईश रूपये+इसके आगे का ब्याज व खर्चे ऋणी / जमानती से लेना है। बकाया राशि को वसूल करने के लिए बैंक को बंधक / दृषिबंधक परसिम्पत्ति श्री रामेश्वर लाल पुत्र श्री माना राम के नाम खसरा नं0 695 व 697 ग्राम व पोस्ट पौंख तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं (राज0) स्थित बंधक सम्पत्ति जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकार्ड के अनुसार 4300 वर्ग मीटर व श्री महावीर प्रसाद सैनी पुत्र श्री रामेश्वर लाल सैनी के नाम ग्राम व पोस्ट पोंख, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज0) स्थित बंधक सम्पत्ति जिसका बैंक रिकार्ड के अनुसार 3066.90 वर्ग मीटर एवं श्री हिमांशू सैनी पुत्र श्री रामेश्वर लाल के नाम ग्राम व पोस्ट पोंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज0) स्थित बंधक सम्पत्ति जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकार्ड के अनुसार 2053.90 वर्ग मीटर जिसका कब्जा लेकर बिक्री करनी है।

बहस सुनी गई। प्रतिनिधि प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जानें का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी इलाहाबाद बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी इलाहाबाद बैंक द्वारा अप्रार्थी / गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी इलाहाबाद बैंक की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी इलाहाबाद बैंक के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण / ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी इलाहाबाद बैंक द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा The Securitistion and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14

जिला कलेक्टर झुन्झुनू
(जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट)
झुंझुनूं

के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पति श्री रामेश्वर लाल पुत्र श्री माना राम के खसरा न0 695 व 697 ग्राम व पोस्ट पोंख तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं (राज0) स्थित बंधक सम्पत्ति जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकार्ड के अनुसार 4300 वर्ग मीटर व श्री महावीर प्रसाद सैनी पुत्र श्री रामेश्वर लाल के नाम ग्राम व पोस्ट पोंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज0) स्थित बंधक सम्पत्ति जिसका क्षेत्रफल 3066.90 वर्ग मीटर एवं श्री हिमांशु सैनी पुत्र श्री रामेश्वर लाल के नाम ग्राम व पोस्ट पोंख, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज0) स्थित बंधक सम्पत्ति जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकार्ड के अनुसार 2053.90 वर्ग मीटर है का पजेशन प्रार्थी इलाहाबाद बैंक को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी इलाहाबाद बैंक के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 08.07.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू